न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र. कैंप भोपाल

(1)

(27)

रामबाबू अग्रवाल आ. स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
निवासी सेमरी हरचंद तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद.................................पुनरीक्षणकर्ता

निगरानी - 2770/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

बनाम

1. रमाकांत थापक आ. धन्नालाल थापक
2. रमेश आ. फद्दूलाल कुशवाहा
3. परमसुख आ. अंतराम कुशवाहा
4. प्रशांत पटेल आ. भैरोसिंह पटैल

सभी निवासी सेमरी हरचंद तह. सोहागपुर
जिला होशंगाबाद...उत्तरवादीगण

अधिवक्ता रामपाल यादव जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 28/03/18 A.S.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. स.

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सोहागपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ-13/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19.012.2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका त्रुटिवश इस आदेश के विरूद्ध पूर्व अधिवक्ता द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसका प्रकरण क्रमांक 0011/अपील/वर्ष 2017-18 दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 19.02.2018 को अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान न होने से निरस्त की गई अस्तु यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है।

आयुक्त कार्यालय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/18/02770 [रामबाबू /रमाकांत]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रास्ता विवाद में लगभग 20-25 कृषक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है एवं यह समय कृषि कार्यहेतु महत्वपूर्ण समय होने तथा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन प्रश्नाधीन रास्ता होना बताया है इसलिये अनावेदक का म0प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के स्वीकार करते हुये अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	